सं0– 04 /XXIV–4/2008

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक: 06 जनवरी 2009 ~~दिसम्बर 2008~~

विषयः– ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–23620/5ख (12)/बालिकाओं के लिये बि0सु0/2007–08 दिनांक 8 सितम्बर 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु निम्न विद्यालय हेतु कुल रू0 82.00 हजार (रूपये बयासी हजार मात्र) की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निर्वतन में रखी गयी धनराशि रू0 6.60 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

धनराशि रूपयें में

कं0सं0	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	सजंय पब्लिक इ0का0 कारबारी ग्रान्ट देहरादून	शौचालय	82,000/–
		योग–	82000/–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

9

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है । स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिशिटयों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(9) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(10) स्वीकृत धनराशि के उपभोग के संबंध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नही किया जायेगा । कार्यो में प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्यो को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) आगणन की एक प्रति सम्बनधित निर्माण ईकाई को उपलब्ध करायी जाय। आगणनों के अनुसार निर्माण ईकाई निर्माण कार्यो को सम्पादित कराये जायं।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक –2202–सामान्य शिक्षा –02 –माध्यमिक शिक्षा –110–गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 04–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता –0402– अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 527(P) XXVII (3) 08–09 दिनांक 22–12–2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या 04 (1) XXIV-4/2008 तद्दिनांक। 06/01/09

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- कोषाधिकारी, देहरादून।
6- जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
7- सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
10- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उपसचिव।